



Neutral Citation No. - 2026:AHC:21999-DB

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 168/2026

पंकज भैया .....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य .....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: कुंदन राय

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता: हर्षित पांडेय, जगदीश पाठक (स्थायी अधिवक्ता)

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति

माननीय क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति

1. यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा नगर पालिका परिषद, बस्ती के रंजीत चौराहे पर एक मूर्ति स्थापित करने के निर्णय को चुनौती देते हुए दायर की गई है।
2. यह तर्क दिया गया है कि सड़क की चौड़ाई चौराहे पर मूर्ति स्थापित करने के लिए बहुत कम है और संबंधित क्षेत्राधिकारी (यातायात) ने पहले ही संकेत दे दिया है कि वह स्थान उपयुक्त नहीं है।
3. नगर पालिका परिषद की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने एक कार्यालय आदेश दिनांक 21.01.2026 प्रस्तुत किया है, जिसकी प्रति याचिकाकर्ता को भी भेजी गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह संकेत दिया गया है कि संबंधित चौराहे पर मूर्ति स्थापना से संबंधित कार्य को स्थगित कर दिया गया है और पुनर्विचार के लिए इसे अगली बोर्ड बैठक में लिया जाएगा।
4. उपरोक्त वस्तुस्थिति को देखते हुए, जिसमें वर्तमान में प्रत्यर्थियों ने संबंधित चौराहे पर मूर्ति स्थापना से संबंधित कार्य को स्थगित कर दिया है, वर्तमान याचिका में आगे कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। अतः इसे निस्तारित किया जाता है।
5. यदि प्रत्यर्थी परियोजना के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं, तो याचिकाकर्ता उचित कदम उठाने के लिए स्वतंत्र होगा।

(क्षितिज शैलेंद्र, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायमूर्ति)

फरवरी 2, 2026

ए.एच.ए./ए.के. शुक्ला

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"